



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1111) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2026

सं० 3/एम0-59/2026-14668/सा0प्र0—श्री संजय कुमार (भा0प्र0से0), सेवानिवृत्त विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर महानिदेशक, बिपार्ड को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2026 के पश्चात् अगले 01 वर्ष (दिनांक—01.08.2026 से 31.07.2027 तक) के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है।

2. श्री संजय कुमार (भा0प्र0से0) को उक्त संविदा नियोजन अवधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—10000 दिनांक—10.07.2015 में निहित प्रावधान के तहत मासिक मानदेय का निर्धारण करते हुए मानदेय का भुगतान एवं अन्य सुविधाएँ निम्नवत् की जायेंगी—

- (i) उनका मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
- (ii) संविदा नियोजन अवधि में इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ (वित्तीय शक्तियाँ सहित) प्राप्त होंगी तथा संविदा नियोजन के पद के अनुरूप मकान एवं परिवहन सुविधा भी अनुमान्य होगी।
- (iii) संविदा अवधि में इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1111—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>